

न्यायालय सभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी- सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

निगरानी संख्या:- 23/2018 धारा 73 (2) नगर पालिका अधि0 2009 (RCMS No.2018/00027)

1. भगतसिंह पुत्र केशवदेव
 2. संगीतासिंह पत्नि भगतसिंह
 3. सुषमासिंह पत्नी चन्द्रपालसिंह
- जाति जाट निवासी ग्राम सूरौता तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्त

बनाम

नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थी

अपील विरुद्ध आदेश सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर दिनांक 02.06.2016 बाबत जारी करने पट्टा आराजी खसरा नम्बर 1577



उपस्थिति:-

श्री सन्तोषी लाल वकील अपीलान्त।

निर्णय

दिनांक 16.08.2022

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि अपीलान्तस की ओर से उक्त अपील अपील अन्तर्गत धारा 73(2) नगर पालिका अधिनियम 2009 सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा अपीलान्तस के हक में जारी पट्टा दिनांक 2.6.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। अधीनस्थ प्राधिकारी ने खण्डनाधीन आदेश से अपीलार्थीगण के आवेदन पत्र उत्तरवादी ने आराजी खसरा नम्बर 1577 व 1580 चक नं0 1 भरतपुर पर अपीलार्थीगण के हक में भू रूपान्तरण करते हुये निम्नलिखत क्षेत्रफल भूभाग पर भूखण्ड संख्या 108 नामांकित करते हुये आवासीय पट्टा जारी करने का आदेश दिया है जिसमें से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17.10.2017 से खसरा नम्बर 1580 को विलोपित करने का आदेश दिया गया है। उपरोक्त आदेश के तहत में

श्री आयुक्त
उपाय, भरतपुर

महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं इसलिए आदेश तहत को निरस्त कराने हेतु यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है—

सीमा व नाप पट्टाकृत भूखण्ड क्षेत्रफल 437.50 वर्गगज 365.93 वर्गमीटर

पूर्व— 88 फुट 9 इंच इस तरफ नाला है।

पश्चिम— 89 फुट 7 इंच इधर भूखण्ड संख्या 109 है।

उत्तर— 48 फुट 10 इंच इधर गौरव पथ सरकारी सडक हैं

दक्षिण— 47 फुट इधर भूखण्ड संख्या 107 है।

विवादित आराजी खसरा नम्बर 1577 वाके चक नं0 1 भरतपुर पूर्व से ही आबादी भूमि रोजविला कोठी रही है। जिसे राजस्व अभिलेख में भी गैरमुमकिन आबादी अंकित किया हुआ है, और रोजविला कॉलोनी रियासत भरतपुर सम्वत 1986 से ही कोठी दीवान साहब (पॉलटीकल ऐजेन्ट) के आवासीय उपयोग में आ रही थी और आवासीय भूमि रही थी। इस प्रकार उक्त आराजी खसरा नम्बर 1577 को परिवर्तन करने की कतई आवश्यकता कानूनन नहीं रही है। अधीनस्थ प्राधिकारी ने भू-रूपान्तरण राशि जरिये चालान संख्या 0011300349 दिनांक 1.6.2016 रूपये 1,19,525/- , चालान संख्या 10006437 दिनांक 31.5.2016 रूपये 7,10,493/- एवं चालान संख्या 10006438 दिनांक 31.5.2016 रूपये 9,188/- कुल रूपये 8,39,206/- तथा पूर्व में जमा राशि चालान संख्या 100043 रूपये 15,000/- अपीलार्थीगण से वसूल करने में भारी त्रुटी की हैं। रियासत (भरतपुर स्टेट) मर्ज होने के बाद राज प्रमुख द्वारा दिनांक 23.10.1953 के आदेश से हिज हाईनेस भरतपुर महाराजा सवाई बृजेन्द्रसिंह के लघु भ्राता राजा गिराज शरण सिंह को रहने के लिये दी गई थी जिसमें कभी खेती कार्य नहीं लिया गया है इस प्रकार भी भू रूपान्तरण का कोई प्रश्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटीपूर्ण निरस्तनीय है। माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ अजमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.1985 के द्वारा विवादित आराजीयात 49 बीघा 12 विसबा को आबादी भूमि माना गया है यह आदेश निगरानी/एलआर/200/भरतपुर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर बनाम भरतसिंह गिरीश कुमार दोनों में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने पुनः उल्लेख करते हुये निगरानी अस्वीकार की है इस प्रकार भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटीपूर्ण है निरस्तनीय है। रोजविला कॉलोनी न्यास की योजना नहीं है बल्कि हजारीलाल व उसके पुत्रों ने अपनी स्वामित्व व कब्जे की आवादी की जमीन पर रोजविला कॉलोनी बनाई थी उसमें सैंकडों पुख्ता मकान, होटल, कोठी, दुकान व मैरिज होम आदि बने हुये हैं। न्यास द्वारा उन सैंकडों मकानों, होटलों, दुकानों के मालिकों को कोई नोटिस नहीं दिया व कोई कार्यवाही नहीं की थी क्यों कि यह रोजविला कॉलोनी न्यास की योजना नहीं है व न्यास से कोई निर्माण स्वीकृति किसी ने भी नहीं ली है। धारा 91(क) राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम रोजविला योजना पर लागू या प्रभावी नहीं



10/11/2016
राजस्थान सरकार
भरतपुर

है। इसलिए आदेश तहत परिवर्तनीय है। नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार प.10 (10) न0वि0अ0/3/97 दिनांक 20.10.1998 को आबादी भूमि मानते हुये "ग्रीन बैल्ट" से हटाकर आवासीय भूमि में बदलने की स्वीकृति दी सभी कॉलोनी में बनी इमारते बिना भू-रूपान्तरण एवं बिना मंजूरी निर्माण के बनायी गई है इसलिए आदेश तहत अधिकार क्षेत्र से परे होने के कारण निरस्तनीय है। विपक्षी नगर सुधार न्यास ने जो ले आउट प्लान रोजविला के लिये जारी किया गया है उसमें व मौके पर उत्तरी भुजा 48 फुट व पश्चिमी भुजा की नाप 47 फुट अंकित है पूर्व 88.9 फुट व पश्चिम 89.7 फुट मौजूद है जबकि मौके पर व बयनामा में उक्त नाप ज्यादा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मर्जी से उक्त सीमा व नाप को कम अधिक दर्ज करते हुये जो पट्टा जारी किया है व कतई गौर कानूनी है गलत है इसलिए आदेश तहत परिवर्तनीय है। जो भू-रूपान्तरण व पट्टा राशि अपीलार्थीगण से विपक्षी ने जमा करायी है वाणिज्यक दर से चार्ज की है जबकि भू-रूपान्तरण साधारण आवास के लिये कराये जाने हेतु आवेदन किया है। इस प्रकार भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटीपूर्ण है जो काबिले मंसूखी है। दिनांक 25.1.2017 को इस पट्टे के संबध में प्रस्तुत अपील संख्या 16/2017 चेतना बनाम यू0आई0टी0 में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2017 से उक्त पट्टे में से खसरा नम्बर 1580 का विलोपित करने व खसरा नम्बर 1577 पर पुनः संशोधित पट्टा जारी करने के आदेश दिया जो अभी तक जारी नहीं किया गया है चूंकि एक प्रकार से उक्त पट्टा न्यायालय श्रीमान द्वारा निरस्त कर दिया है। उक्त अपील न्यायालय हाजा में बिना देरी के पेश की गई है। अवधि कानून की जानकारी नहीं होने के कारण अभी तक अपील पेश नहीं कर सके जानबूझकर देरी नहीं की है। अपील में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम पृथक से पेश है। उक्त अपील में निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर पट्टा आदेश दिनांक 2.6.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थीगण को वाणिज्यक उद्देश्य के लिये पट्टा नगर विकास न्यास के ले-आउट प्लान रोजविला कॉलोनी में दी गई नाप के अनुसार जारी किया जावे अन्यथा अपीलार्थीगण की राशि वापिस की जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेन्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील अपीलान्त उपस्थित। वकील रैस्पोंडेन्ट उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्त की एकतरफा में बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्त द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों व लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अपीलान्त ने एक आबादी भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 11.11.2002 व 04.02.15 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसका कुल क्षेत्रफल 4725 वर्गफुट है अर्थात् 525 वर्गगज है। इस भूखण्ड की तीन तरफ से नीम भरी हुई थी एवं टिनसेड भी लगी हुई थी। उपरोक्त भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्य भू-परिवर्तन करने एवं वाणिज्य का पट्टा लेने हेतु नगर



3
-6-2022
मौजूद आशुक्त
नगर संमान, भारतपुर

सुधार न्यास, भरतपुर को आवेदन किया गया था। इस आवेदन पर अपीलान्त/अपीलार्थी को 525 वर्गगज के स्थान पर 437.50 वर्गगज का आवासीय पट्टा जारी किया गया था जबकि अपीलान्त/अपीलार्थी के कब्जे में 525 वर्गगज भूमि थी और वाणिज्य उपयोग हेतु पट्टा जारी करना था। अपीलान्त/अपीलार्थी से नगर सुधार न्यास भरतपुर में कुल 8,54,206 रुपये विभिन्न तारीखों में भू उपयोग परिवर्तन पेटे जमा करवाये थे। नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा दिनांक 02.06.2016 को जारी पट्टा जिसका पंजीयन दिनांक 03.06.2016 को किया गया है के विरुद्ध उक्त अपील पेश की गई है। जिसमें यह अनुतोष चाहा गया है कि पट्टा आदेश दिनांक 02.06.16 निरस्त कर अपीलान्त/अपीलार्थी को वाणिज्य उद्देश्य/उपयोग के लिये मुताबिक स्वीकृत ले-आउट प्लान नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा रोज विला कॉलोनी में की गई नाप के अनुसार पट्टा जारी किया जावे। उक्त भूमि भरतपुर स्टेट के समय से आवादी भूमि है जिसके भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय करने की राशि शुल्क लेना गलत है। क्योंकि उक्त भूखण्ड अपीलान्त/अपीलार्थी का स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार कय शुदा भूखण्ड है। इस भूखण्ड संख्या 8 की सीमा और पैमाइश निम्नानुसार है:-

पूर्व- 88 फुट 9 इंच इस तरफ नाला है।

पश्चिम- 89 फुट 7 इंच इधर भूखण्ड संख्या 109 है।

उत्तर- 48 फुट 10 इंच इधर गौरव पथ सरकारी सडक है।

दक्षिण- 47 फुट इधर भूखण्ड संख्या 107 है।

निर्विवाद रूप से अपीलान्त/अपीलार्थी के व्यक्तिगत स्वामित्व के केवल भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से वाणिज्य करने हेतु आवश्यक शुल्क अपीलान्त/अपीलार्थी ने रैस्पों0 नगर सुधार न्यास, भरतपुर को जमा करा दिया और पट्टा वाणिज्य उपयोग हेतु स्वीकृत ले-आउट प्लान के मुताबिक जारी होना था जो कि नगर सुधार न्यास, भरतपुर रैस्पोंडेन्ट ने जारी नहीं किया था। यह समस्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है। नगर सुधार न्यास द्वारा रिकार्ड के मुताबिक व कानूनन रूप से गलती की है। अपीलान्त/अपीलार्थी के पक्ष में जिस साइज का पट्टा जारी किया है उस साइज का भूखण्ड स्वीकृत ले-आउट प्लान में नहीं है एवं उसकी पैमाइश भी भिन्न है। ले-आउट प्लान में उक्त भूखण्ड का साइज दिये गये पट्टे से ज्यादा है। अतः अपीलान्त/अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नगर सुधार न्यास, भरतपुर के रैस्पोंडेन्ट के पट्टा जारी करने के आदेश दिनांक 02.06.16 को निरस्त कर अपीलान्त/अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार नगर सुधार न्यास भरतपुर रोज विला कॉलोनी के मुताबिक वाणिज्य भूमि का वाणिज्य प्रयोजनार्थ पट्टा जारी करने के आदेश दिये जावे।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष



16.8.2016
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पर पहुंचे है कि अपीलान्ट्स की ओर से उक्त अपील लगभग 1 वर्ष 8 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब को कंडोन किये जाने के संबंध में अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 16/2017 चेतना बनाम यू.आई.टी. में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2017 से उक्त पट्टे में खसरा नम्बर 1580 का विलोपित करने व खसरा नं० 1577 पर पुनः संशोधित पट्टा जारी करने का आदेश दिया गया था जो अभी तक जारी नहीं किया गया है। चूंकि नगर सुधार न्यास की ओर से जारी पट्टा अदालत हाजा द्वारा निरस्त कर दिया गया है इसलिए अपील बिना किसी विलम्ब के पेश की गई है। उक्त विलम्ब जानबूझकर नहीं कर जानकारी के अभाव में किये जाने का उल्लेख करते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने की इस्तदुआ की है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का न तो रैस्पों० की ओर से कोई जबाब ही प्रस्तुत किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा भी मियाद संबंधी बिन्दु पर आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:-



"Limitation Act, 1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by state Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार आर०बी०जे० (4) 1997 पेज 257 पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

अतः उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में अपीलान्ट्स की आरे से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम के आधार पर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त निर्णय के विरुद्ध पूर्व में ही एक अपील संख्या 16/17 चेतना शर्मा वगैरा बनाम नगर सुधार न्यास, भरतपुर जरिये सचिव व अन्य के नाम से प्रस्तुत की थी। उक्त अपील में अपीलान्ट्स भी रैस्पोंडेन्ट के रूप में पक्षकार रहे हैं। जिसमें अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक

16.8.2021
संभागीय आयोग
भरतपुर संभाग, भरतपुर

17.10.17 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण द्वारा निर्देश के साथ सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया गया था कि पट्टा क्रमांक नियमन/2016/176/दिनांक 02.06.16 के खसरा नं० 1577 व 1580 चाके करबा भरतपुर चक नं० 1 में संशोधन कर खसरा नं० 1580 को विलोपित कर खसरा नं० 1577 में भूखण्ड संख्या 108 का संशोधित पट्टा नियमानुसार जारी किया जावे। अदालत हाजा की ओर से जारी आदेश की पालना में सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा पट्टा विलेख संशोधन पत्र जारी किया गया है। जिसमें भूखण्ड संख्या 108 के खसरा नं० 1577, 1580 के स्थान पर खसरा नं० 1577 पट्टे जाने का उल्लेख किया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि पट्टा की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। उक्त संशोधित पट्टा विलेख पत्र के पृष्ठ भाग पर यह अंकित किया गया है कि "लाईन संख्या 8 के अंतिम शब्द रहेंगी के बाद निम्नानुसार पढ़ा जावे"। न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर की अपील संख्या 16/17(RCMS No.2017/00021) (पट्टा सू.आई.टी) की पालना में संशोधन किया गया है। उक्त पट्टा माननीय उच्च न्यायालय एस.बी.सिविल अपील नंबर 126/2015 के निर्णय दिनांक 12.09.2015 के अध्याधीन रहेगा।

उक्त कार्यवाही अपीलान्त की ओर से सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर को दिनांक 02.11.2017 को प्रस्तुत किये गये आवेदन जिसमें अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.17 का हवाला देते हुए संशोधित पट्टा जारी किये जाने का अनुरोध किया है के आधार पर की गई है। सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा संशोधित पट्टा जारी करने के बाद उप पंजीयन व मुद्रांक विभाग भरतपुर को पत्र क्रमांक/नियमन/2017/912 दिनांक 23.02.18 लिखा गया है जिसमें संशोधित पट्टे का पंजीयन कर भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया है। अर्थात् रैस्पोंडेन्ट नगर सुधार न्यास की ओर से अदालत हाजा की ओर से जारी आदेश दिनांक 17.10.2017 की पालना कर दी गई। जहां तक अपीलान्त को भूखण्ड संख्या 108 का वाणिज्य प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में न तो नगर सुधार न्यास में ही अपीलान्त द्वारा वाणिज्य प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है और न ही अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील जिसमें अपीलान्त रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 है, के द्वारा इस तरह का कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है। अब जिन तथ्यों का हवाला देकर अपीलान्त की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश की गई है उस आधार पर अपील मेन्टेनेवल नहीं है क्योंकि अदालत हाजा की ओर से अपीलाधीन निर्णय के संबंध में पूर्व में ही वर्ष 2017 में प्रस्तुत अपील में दिनांक 17.10.2017 को निर्णय पारित कर दिया गया है। यदि अपीलान्त उक्त निर्णय से व्यथित थे तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र थे परन्तु पुनः उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील पेश किये जाने का अधिकार अपीलान्त को नहीं है।

यदि प्रकरण के गुणावगुण को भी देखा जाता है तो भी अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि रैस्पोंडेन्ट नगर सुधार न्यास द्वारा अपीलान्तस से भू-रूपान्तरण की राशि जमा नहीं कराई जाकर भूखण्ड



28
16-8-2017
सचिव, नगर सुधार न्यास
भरतपुर

संख्या-108 की निवन्धन राशि जमा कराई गई। जिसकी पुष्टि अपीलवादी निर्णय
 तथ्यों में मूल पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों से ही रही है। जिसके अनुसार अपीलवादी
 व दो अन्य की ओर से नगर सुधार न्यास, भरतपुर में दिनांक 23.11.2016 को भूमि
आवेदन/निगमितिकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें इलाका के
 आधार पर स्थायित्व प्राप्त होने व उक्त भूमि दिनांक 17.08.1999 से पूर्व की अकृषि
 प्रयोजनार्थ काम में लिये जाने के आधार पर निगमितिकरण हेतु आवेदन किया गया
 है। अपीलान्त, संगीता सिंह व सुषमा सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में
 संबंधित शाखा, तकनीकी अधिकारी व तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद
 निवन्धन योग्य मूखण्ड-437.50 वर्गमज होने व इसके नियमित शुल्क के रेटे
 1,79268, एकमुश्त लीज राशि का 8 गुना, 2,39050 वाह्य विकास शुल्क 54918,
 आंतरिक विकास शुल्क 1,09835 बी.एस.यू.पी. फण्ड 9188 सर्वे शुल्क 7438, डीएम
 व्यय 500/-, ब्याज 15 प्रतिशत, 28 माह राशि 1,04585, विक्रय पर शान्ति
 29881 कुल 8,54206 रुपये होने व इसमें से पूर्व जमा राशि 15000 कम करने के
 बाद कुल देय राशि 8,39206 रुपये देय होने की टिप्पणी की गई। जो कि
 अपीलान्त की ओर से नगर सुधार न्यास में दिनांक 01.06.2016 को जमा कराये
 जाने के बाद पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही की गई है। ऐसा कोई भी
 दस्तावेज अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता
 हो कि अपीलान्त की ओर से वाणिज्य प्रयोजनार्थ भूमि चाही गयी हो या रूपान्तरित
 कराने हेतु आवेदन किया गया हो। अतः नगर सुधार न्यास की ओर से आवासीय
 प्रयोजनार्थ जारी किये गये मूखण्ड संख्या-108 का वाणिज्यक प्रयोजनार्थ पट्टा
 जारी किये जाने हेतु अपीलान्त की ओर से गलत तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की गई
 है जो कि मंटेनेवल नहीं है क्योंकि अपीलवादी निर्णय दिनांक 02.06.2016 को
 अदालत हाजा की ओर से पूर्व में ही निर्णय दिनांक 17.10.2017 के द्वारा संशोधित
 पट्टा जारी किये जाने के निर्देश नगर सुधार न्यास को किये जा चुके हैं। इस
 आदेश की पालना भी नगर सुधार न्यास की ओर से की जा चुकी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलान्त की ओर से उक्त अपील
 गलत तथ्यों पर पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत
 हाजा की ओर से उक्त प्रकरण में जारी आदेश दिनांक 17.10.2017 को यथावत
 रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर, मूल वर्गी)
 संभागीय आयुक्त
 संभागीय आयुक्त
 भरतपुर संभाग, भरतपुर